न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04 / 2019	09 / 10 / 2019	13 / 9 / 2025

लूटूरलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ जिला बूंदी राज.
2. चाहन्या बाई पुत्री श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ जिला बूंदी राज. पत्नी श्री गुलाबचंद जाति मीणा नि0 श्रीपुरा पो० ढीपरी चंबल तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. साबीबाई पुत्री श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ जिला बूंदी राज. पत्नी, सियाराम जाति मीणा नि. कर्मापुर पो० कर्मापुर तह0 खंडार जिला सवाईमाधोपुर राज
4. सुगनाबाई पुत्री श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राज. पत्नी गिर्राज जाति मीणा नि. खोरदा तह0 पीपल्दा जि. कोटा
5. फूमाबाई पत्नी श्री किशनलाल जाति मीणा नि० चाणदा तह० इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राज.
6. कलावतीबाई पत्नी शंकरलाल जाति मीणा नि. चांणदा तक इन्द्रगढ़ जि० बूंदी राज. हाल कलावतीबाई पत्नी सीताराम जाति मीणा नि0 रनोद पो० नागरवावड़ा तह० एवं जिला श्योपुर
7. ग्राम पंचायत नीमोला जरिये सरपंच चंदा बैरवा नि० नीमोला प0स0 इटावा जिला कोटा टाव

रेस्पोडेंटगण

अपील नामान्तरण सं० 259 आदेश ग्राम पंचायत नीमोला तह0 पीपल्दा दिनांक 5.5.2017 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.अधि०

निर्णय

यह कि अपीलान्ट के पिता किशनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि० चाणदा तह इन्द्रगढ जि० बूंदी राज के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 255 रकबा 1.83 है0 नहरी प्रथम वाके माल ग्राम शेरगढ़ पटवार हलका मियाणा भू.अ.नि. क्षेत्र ढीपरी चंबल तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज स्थित है। यह कि अपीलान्ट के पिता खातेदार किशना पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा की मृत्यु दिनांक 10.11.2008 को हो, चुकी है, व शंकरलाल पुत्र किशनलाल की मृत्यु दिनांक 12.1.2014 को दो चुकी है, इस प्रकार मृत्यु प्रमाण अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत से प्रस्तुत किये ।

यह कि अपीलान्ट को बिना सुने ग्राम पंचायत नीमोला ने दि० 5.5.2017 को, रेस्पोडेंट के कहेनुसार जो नामान्तरण खोला गया वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए उक्त नामान्तरण खारिज होने योग्य है।

यह कि रेस्पो डेट द्वारा उक्त नामा. से संबंधित तत्थात्मक तथ्यों को छिपाकर, नामान्तरण सं. 259 दिनांक 5.5.2017 जो खोला गया जो कानून के विपरीत है क्योंकि रेस्पोडेंट क्रम 6 वर्तमान में चाणदा तह0 इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में निवास

उपखण्ड अधिकारी

नहीं करती है, रेस्पोडेट कम 6 द्वारा आज से 14 वर्ष पूर्व सीताराम मीणा नि० रनोद से सामाजिक प्रथा अनुसार नाता विवाह कर लिया था, इसलिए उक्त संपत्ति से रेस्पोडेंट क्रम 6 को किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। इसलिए उक्त नामा. खारिज किये जाने योग्य है। यह कि रेस्पोडेंट कम 1 बजरंगलाल ने जानबूझकर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके 2 लगायत 6 के नाम जो नामान्तरण खुलवाया जो कानून अवैध है, क्योंकि मीणा जाति में स्त्री को संपत्ति में हक, अधिकार नहीं है, केवल मात्र भरण पोषण का अधिक है इसलिए उक्त अपील न्याय संगत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अपीलान्ट उक्त खाते की जमाबंदी लेने हल्का पटवार के पास गया तो नकल प्राप्त करने के बाद नामान्तरण सं. 259 की जानकारी हुई। तब जाकर प्रार्थी ने दस्तावेज लेने के उपरांत श्रीमान के यहां प्रस्तुत करनी पड़ी ।

अतः अपील प्रत्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश नामा सं. 259 कि 5.5.2017 अदेश को खारिज फरमाया जाकर अपील को सक्षम न्यायालय से रिमाण्ड कर सुनवाई का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील अपीलान्ट की ओर से श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेंट क्रम 2 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 5 की ओर से श्री विकास पारेता एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 17.01.2023 को रेस्पोडेंट 1 व 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 06.03.2024 को रेस्पोडेंट क्रम 3, 4, 6 की विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं रेस्पोडेंट नं0 1 व 5 के विद्वान वकील ने भी कोई आपत्ति नहीं की है।

अपील पर बहस सुनी गई। विषयक प्रकरण में ग्राम शेरगढ पटवार मण्डल मियाना के नामान्तरण नं0 259 निर्णय दिनांक 05.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत निमोला में मृतक किशना पुत्र जगन्नाथ (फोत दिनांक 10.11.2008) की विरासत लटूर, बजरंगलाल पुत्रान चाहन्या बाई, साबोबाई, सुगनाबाई पुत्रिया फूफाबाई पत्नि स्व0 किशना हि0 6/7 कलावती पत्नि स्व0 शंकरलाल हि0 1/7 के नाम स्वीकार हुआ है। आदिवासी समुदाय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होता हैं सिर्फ परम्पराएं लागू है और विवाहित महिलाओं को भरण–पोषण का ही अधिकार होता है। किन्तु किसी आदिवासी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात महिला द्वारा पुर्नविवाह किए जाने पर भी बच्चे प्रथम श्रेणी के वारिस माने जाते है तथा बच्चों का अधिकार सुरक्षित रहता है। उक्त अपील में मृतक शंकरलाल व कलावती रेस्पोडेंट के पुत्र, पुत्री नहीं होना ग्राम पंचायत ने सजरा अनुसार स्वीकार किया है। अतः प्रकरण आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग में मीणा जाति का होने से एवं शंकरलाल व कलावती के कोई पुत्र, पुत्री नहीं होने एवं अनुसूचित जनजाति में परम्पराएं लागू होने से नामा0 नं0 259 निर्णय दिनांक 05.05.2017 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर सम्यक निर्णय करें।

निर्णय आज दिनांक 13/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा